न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 71/08 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. उदमीराम

2. प्रभात पुत्रान मंगलराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम बीझपुर तह0 बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांटस/वादीगण

बनाम

1 राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

:--- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बहरोड

दिनांक 8.5.08

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 30/8/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 241/96 में पारित निर्णय दिनांक 8.5.08 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वाद का वाद बाबत इस्तकरारहक व हुकम इम्तनाई दवामी खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 345/1019 रकबा 62 एयर वाके ग्राम बीझपुर तहसील बहरोड विवादित है । इसके साबिक नम्बर 373 मिन थे । वादीगण मौके पर काबिज है । रिहायश बना रखी है । इस आराजी पर वादीगण बुजुर्गो के समय से ही काबिज है ।परन्तु रिकार्ड में इस आराजी को चारागाह दर्ज कर रखी है । जो गलत है । अतः दावा डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है । जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि पर हम अपने बुजुर्गो के समय से ही काश्त करते आ रहे हैं । इसमें हमने रिहायश बना रखी हैं । इससे भी सिद्ध है कि हमारा कब्जा है । हमारा एडवर्स पजेशन भी साबित है । मौका रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में है । इसके अतिरिक्त साबिक नम्बर 373 का रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा था, जिसके हिसाब से 39 एयर बनते हैं, परन्तु हाल नम्बर बनाते समय इसका रकबा बढा कर 62 एयर कर दिया गया है । हमारे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से वाद पत्र सिद्ध है, परन्तु तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर वाद पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि विवादित भूमि हाल एवं साबिक रिकार्ड में चारागाह भूमि है । चारागाह भूमि पर किसी प्रकार से खातेदारी नहीं दी जा सकती । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित भूमि चारागाह भूमि

राजस्व अधिकारी एवं पदेन
अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

है, जिस पर वादी अपीलांटस ने अपने एडवर्स पजेशन /लम्बे कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी चाही है । इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में चारागाह की भूमि पर खातेदारी दिया जाने पर पाबन्दी है । जहां तक रकबा बढाने का सवाल है तो इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन है कि जब भूमि चारागाह है और वादीगण का इस पर किसी प्रकार का राईट नहीं बनता है तो उसे यह बिन्दू उठाकर दुरूस्त कराने का अधिकार नहीं है । वादीगण अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्य से अपना वाद सिद्ध करने में कतई असफल रहे हैं । इन सब तथ्यों के विवेचन की रोशनी में तहत न्यायालय में द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8.5.2008 यथावत रखे जाते हैं ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 71/08 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. उदमीराम

2. प्रभात पुत्रान मंगलराम जाति अहीर वगैरा निवासीयान ग्राम बीझपुर त्ह0 बहरोड जिला अलवर

:---- अपीलांटस/वादीगण

बनाम

1 राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

:--- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बहरोड

दिनांक 8.5.08

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

2. राजकीय अभिभाषक

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8.5.2008 यथावत रखे जाते हैं ।

(संजू शर्मा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner